जन सूचना

सभी नौएडावासियों से अपील है कि वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट रूल्स, 2016 के अनुसार अपने कर्तव्यों और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की गाईडलाईन का पालन करें। इसके लिए सभी नौएडावासी कृपया Domestic Hazardus Waste जैसेः एरोसोल के डिब्बे/कीटनाशक, एक्सपायर्ड दवाएं, पेंट/ज्वलनषील तेल/मच्छरमारने के रिफिल/टूटा हुआ कांच/इलेक्ट्रॉनिक कचरा (जैसे बैटरी/सीएफएल/एलईडी बल्ब/कम्प्यूटर/मोबाईल) आदि और Sanitary Waste जैसेः महिलाओं द्वारा प्रयोग किये गये पैंटी लाईनर्स, सैनिटरी पैड/टैम्पोन)/इसके साथ ही इस्तेमाल किए गए कंडोम/डायपर/टैम्पोन/बैंडेज आदि को अलग–अलग Segregate करते हुए उन्हे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाली गाड़ियों में देना सुनिश्चित करें। घर–घर जा कर कूड़ा उठाने (Door to Door Collection) वाले वाहनों में गीले कूड़े (हरा बिन्स), सूख कूडे (नीले बिन्स) के अतिरिक्त Domastic Hazardous Waste के लिए काला बॉक्स एवं Sanitary Waste के लिए लाल बॉक्स की व्यवस्था कराई गई है। सभी नौएडा वासियों से अनुरोध है कि अपने गीले, सूखे कूड़े के साथ–साथ Domastic Hazardous Waste एवं Sanitary Waste को काला एवं लाल बैग में अलग–अलग कर घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सैनेटरी नैपकीन/डायपर इत्यादि डिस्पोज करने से पहले कृपया उसे मैनुफैक्चरिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गये पैकेट/रैपर में ठीक से पैक कर दें।

आपका यह कदम कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित करेगा और खतरनाक/सैनेटरी कचरे के साथ मिक्स होने के साथ अन्य कचरे को भी Contamination से रोकेगा। ध्यान रहें, इस नियम के उल्लंघन के कारण आप पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट रूल्स, 2016 और अन्य कानूनों के अनुसार जुर्माना/दण्ड भी लग सकता है। आपका योगदान नौएडा प्राधिकरण को वेस्ट/कचरे को रिसोर्स के रूप में बदलने, पर्यावरणीय लाभं हासिल करने और शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शीर्ष रैंक पाने में मदद करेगा।

धन्यवाद

आपकी

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

सार्वजनिक सूचना

खुले में मल/ सीवेज निष्पादन करने वाले सम्बंधित सेप्टिक टैंक क्लीनिंग/ डिस्लजिंग सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

सर्व साधारण एवं सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि नौएडा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस वर्ष नौएडा शहर खुले में शौच मुक्त (ODF, ODF+ व ODF++) प्रमाणित हो चुका है। नौएडा क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची कालोनी, झुग्गी एवं ग्रासों की अतिकमित आबादी एवं कुछ कम्पनियों के परिसर में सेप्टिक टैंक है जिनका मल निष्पादन सेप्टिक टैंक क्लीनिंग/डिस्लजिंग सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल) द्वारा सेप्टिक टैंक क्लीनिग/डिस्लजिंग सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण तथा मल/सीवेज के सुरक्षित निष्पादन हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर वाहन खाली करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश सं0 नौएडा/मु0अ0(जल)/2018/140 दिनांक 05/02/2018 को जारी किया गया। इसी कम में प्राधिकरण की शर्तो के साथ कई से सेप्टिक टैंक क्लीनिंग/डिस्लजिंग सेवा प्रदाता के पंजीकृत किये गए हैं जिनकी सूची नौएडा प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthority.in पर उपलब्ध है।

सम्बंधित सेप्टिक टैंक क्लीनिंग/डिस्लजिंग सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में अनुपचारित मल/सीवेज खुले स्थान, नदी, नाले या अन्य किसी भी स्थान पर डालना प्रतिबंधित है यदि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी खुले में मल/सीवेज डालते हुए दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा रुपये 30,000/– का आर्थिक जुर्माना भी वसूला जायेगा।

सम्बंधित से अनुरोध है कि मल/सीवेज का निष्पादन केवल नौएडा प्राधिकरण के सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर ही करें। साथ ही नौएडा को स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाये रखने में प्राधिकरण का सहयोग करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

कृपया जन साधारण को सूचित किया जाता है कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा C & D Waste के निस्तारण हेतु भूखण्ड सं0 सी–48, सैक्टर–80 में C & D Waste Processing Plant की स्थापना की गई है। C & D Waste Processing Plant पर C & D Waste पहुँचाने हेतु नौएडा क्षेत्र में निम्न 13 स्थलों पर C & D Waste Collection Stations का निर्माण किया गया है।

1. रामलीला ग्राउण्ड डी–ब्लॉक पार्क के निकट, सैक्टर–62
2. ग्राम – ममूरा के सामने सैक्टर–65
3. सैक्टर–50 एस0टी0पी0 के पास
4. स्पाईस मॉल के पीछे सैक्टर–25
5. पम्प हाऊस के सामने सैक्टर–44
6. पुस्ता ग्रीन बेल्ट के पास सैक्टर–88
7. शमशान घाट के निकट सैक्टर–72
8. सैक्टर–119 एम0आर0एफ0 सेन्टर के निकट
9. ग्रीन बेल्ट में शमशानघाट के निकट सैक्टर–106
10. ग्राम शाहपुर 45.00 मीटर रोड पर
11. पक्षी विहार मेट्रो स्टेशन के निकट सैक्टर–94
12. एफ0सी0टी0एस0 के निकट सैक्टर–135
13. पुलिस चौकी के निकट ग्राम बख्तावरपुर सैक्टर–127

उक्त सभी स्टेशनों पर C & D Waste की 20MT मात्रा तक उत्सर्जित करने वाले भवन निर्माणकर्ता नौएडावासी अपना C & D Waste निशुल्क पहुँचा सकते है। उक्त C & D Waste Collection Station से C & D Waste Processing Plant तक पहुँचाने का कार्य M/s Ramky Reclamation and Recycling Ltd. द्वारा किया जायेगा। C & D Waste के बल्क जनरेटर (20MT से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करने वाले) भवन निर्माणकर्ताओं को C & D Waste को M/s Ramky Reclamation and Recycling Ltd. द्वारा उठवाने पर रू0 495.00 प्रति एम0टी0 की दर से तथा यदि उत्सर्जित C & D Waste भवन निर्माणकर्ता स्वयं सी–48, सैक्टर–80, नौएडा प्लान्ट पर पहुँचाता है तो उसे 148.50/MT की दर से प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा।

(रितु माहेश्वरी) IAS
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

जन सूचना

सभी नौएडावासियों से अपील है कि वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट रूल्स, 2016 के अनुसार अपने कर्तव्यों और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की गाईडलाईन का पालन करें। इसके लिए सभी नौएडावासी कृपया Domestic Hazardus Waste जैसेः एरोसोल के डिब्बे/कीटनाशक, एक्सपायर्ड दवाएं, पेंट/ज्वलनषील तेल/मच्छरमारने के रिफिल/टूटा हुआ कांच/इलेक्ट्रॉनिक कचरा (जैसे बैटरी/सीएफएल/एलईडी बल्ब/कम्प्यूटर/मोबाईल) आदि और Sanitary Waste जैसेः महिलाओं द्वारा प्रयोग किये गये पैंटी लाईनर्स, सैनिटरी पैड/टैम्पोन)/इसके साथ ही इस्तेमाल किए गए कंडोम/डायपर/टैम्पोन/बैंडेज आदि को अलग–अलग Segregate करते हुए उन्हे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाली गाड़ियों में देना सुनिश्चित करें। घर–घर जा कर कूड़ा उठाने (Door to Door Collection) वाले वाहनों में गीले कूड़े (हरा बिन्स), सूख कूडे (नीले बिन्स) के अतिरिक्त Domastic Hazardous Waste के लिए काला बॉक्स एवं Sanitary Waste के लिए लाल बॉक्स की व्यवस्था कराई गई है। सभी नौएडा वासियों से अनुरोध है कि अपने गीले, सूखे कूड़े के साथ–साथ Domastic Hazardous Waste एवं Sanitary Waste को काला एवं लाल बैग में अलग–अलग कर घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सैनेटरी नैपकीन/डायपर इत्यादि डिस्पोज करने से पहले कृपया उसे मैनुफैक्चरिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गये पैकेट/रैपर में ठीक से पैक कर दें।

आपका यह कदम कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित करेगा और खतरनाक/सैनेटरी कचरे के साथ मिक्स होने के साथ अन्य कचरे को भी Contamination से रोकेगा। ध्यान रहें, इस नियम के उल्लंघन के कारण आप पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट रूल्स, 2016 और अन्य कानूनों के अनुसार जुर्माना/दण्ड भी लग सकता है। आपका योगदान नौएडा प्राधिकरण को वेस्ट/कचरे को रिसोर्स के रूप में बदलने, पर्यावरणीय लाभं हासिल करने और शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शीर्ष रैंक पाने में मदद करेगा।

धन्यवाद

आपकी

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।